न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 175 / 2026

ऋषि सुलतानिया पता फ्लेट नम्बर 002 ए विंग बी–55, राधिका सीएचएस गोकूलधाम गोरेगांव ईस्ट पिनकोड 400063
मो.न. 7023951335

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिड़ावा

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 04.05.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 22.04.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 175 / 2026 पर दिनांक 22.04.2026 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिड़ावा के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिड़ावा को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिड़ावा से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2026 / 1248–49 दिनांक 23.04.2026 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिड़ावा ने पत्रांक सू.अ.अ. / 2025 / 84 दिनांक 01.05.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना तहसील कार्यालय चिड़ावा से संबंधित होने के कारण कार्यालय हाजा द्वारा तहसीलदार चिड़ावा को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। तहसीलदार चिड़ावा के पत्रांक भू.अ. / 2026 / 974 दिनांक 01.05.2026 से प्राप्त हुई है जो निम्नानुसार है – यह कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक प्रकृति की है जिसके संबंध में तहसीलदार चिड़ावा के पत्रांक क्रमांक भू.अ. / 2026 / 974 दिनांक 01.05.2026 के द्वारा सूचना भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिड़ावा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना तहसील कार्यालय चिड़ावा से संबंधित होने के कारण उनके कार्यालय द्वारा तहसीलदार चिड़ावा को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक प्रकृति की होने से तहसीलदार चिड़ावा के पत्रांक क्रमांक भू.अ. / 2026 / 974 दिनांक 01.05.2026 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 04.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर, झुंझुनू